

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 24/2022 GCMS 2022/43

वादी

1. दानाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. दुलाराम कुमावत पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास, हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजू देवी पत्नी प्रभूराम कुमावत निवासी रामनगर, खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
3. रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. कुनणी देवी पुत्री बोदूराम
5. दुर्गादेवी पुत्री बोदूराम
6. सोहनी देवी पुत्री बोदूराम जाति जाट निवासीगण पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
7. कंवरी पत्नी श्रवणसिंह जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
8. दारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
9. नारायणी देवी पत्नी कजाराम जाति कुमावत निवासी नली का बालाजी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
10. राधादेवी पत्नी दुलाराम कुमावत निवासी नली का बालाजी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
11. लिछमण पुत्र देवाराम जाट निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा - बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रति.1 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 28-07, 2022

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 18.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2022/1943 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा भिजवाई गई, मौका फर्द रिपोर्ट/बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम सीतापुर पटवार



उपखण्ड अधिकारी

मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 693 में से रकबा 0.3359 हैक्टर खसरा नम्बर 691 में से 0.0641 हैक्टर कुल रकबा 0.4000 हैक्टर वादी दानाराम पुत्र जोधाराम जाट पलाड़ा तथा प्रतिवादी दुलाराम पुत्र नाथूराम कुमावत खसरा नम्बर 693 में से 0.1618 हैक्टर, प्रतिवादी राजूदेवी पत्नी प्रभुराम खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर व रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभुराम कुमावत खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर पर काबिज है तथा शेष भूमि शेष खातेदारो के शामलाती रहेगी। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 का नजरी नक्शा दर्शाते हुए पृथक-पृथक हिस्सा दर्शाया गया है, जिसमें कथन किया है कि मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के खातेदारी दर्ज किया जाना उचित है। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 691 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 1.3175 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.32 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.3975 हैक्टर में खसरा नम्बर 693 में से रकबा 0.3359 हैक्टर खसरा नम्बर 691 में से 0.0641 हैक्टर कुल रकबा 0.4000 हैक्टर वादी दानाराम पुत्र जोधाराम जाट पलाड़ा तथा प्रतिवादी दुलाराम कुमावत पुत्र नाथूराम को खसरा नम्बर 693 में से 0.1618 हैक्टर, प्रतिवादी राजू देवी पत्नी प्रभुराम खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर व रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभुराम को खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर के बंटवारा स्कीम में अंकित नजरी नक्शा एवं हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम हटाया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा शेष खातेदारो के शामलाती में रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-07, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 24/2022 GCMS 2022/43

वादी

1. दानाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. दुलाराम कुमावत पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास, हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजू देवी पत्नी प्रभूराम कुमावत निवासी रामनगर, खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
3. रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. कुनणी देवी पुत्री बोदूराम
5. दुर्गादेवी पुत्री बोदूराम
6. सोहनी देवी पुत्री बोदूराम जाति जाट निवासीगण पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
7. कंवरी पत्नी श्रवणसिंह जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
8. दारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
9. नारायणी देवी पत्नी कजाराम जाति कुमावत निवासी नली का बालाजी कुचामनसिटी
10. राधादेवी पत्नी दुलाराम कुमावत निवासी नली का बालाजी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
11. लिछमण पुत्र देवाराम जाट निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा - बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू-बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी गिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता गिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 691 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 1.3175 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.32 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.3975 हैक्टर में खसरा नम्बर 693 में से रकबा 0.3359 हैक्टर खसरा नम्बर 691 में से 0.0641 हैक्टर कुल रकबा 0.4000 हैक्टर वादी दानाराम पुत्र जोधाराम जाट पलाड़ा तथा प्रतिवादी दुलाराम कुमावत पुत्र नाथूराम को खसरा नम्बर 693 में से 0.1618 हैक्टर, प्रतिवादी राजू देवी पत्नी प्रभूराम खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर व रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभूराम को खसरा नम्बर 693 में से 0.0645 हैक्टर के बंटवारा स्कीम में अंकित नजरी नक्शा एवं हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम हटाया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा शेष खातेदारों के शामिल होने में रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।


**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)**

निज मुबलिग बाबत..... खर्चा इसा मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 07 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर)



उपखर्च अधिकारी
ओ कुचामन सिटा (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

कार्यालय तहसीलदार (भू-अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू-अ. / 2022 / 1943

दिनांक - 27-7-22

प्रेषित -

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय - राजस्व वाद सं. 24 / 2022 दानाराम बनाम दुलाराम वगैरह में पारित प्राथमिक
डिक्री की पालना बाबत।

प्रसंग - श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 217 दिनांक 18.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 24 / 2022 दानाराम बनाम दुलाराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का पलाडा के द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।


संलग्न - उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

27/7/22

-: मौका फर्द :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मरौ बय कुचामन सिरी के राजम्व वाद संख्या 24/2002 द.स. 2022/84 दानाराम बनाम इलाराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिप्टी आदेश एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब कुचामन सिरी के आदेश क्रमांक /श.अ./ 49 दिनांक 19.7.22 की पालना में करके खातेदार मौके पर आकर निम्नानुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गई।



नाम खातेदार	ख. नं	रकब
(1) दानाराम पुत्र मोधाराम जालि आठ सा. देह खातेदार	① 693	0.3359 है
	② 691	0.0641 है
		<u>0.4000 है</u>
(2) दुलाराम पुत्र नारायण जालि कुमावत सा. लखजी का बास हिरानी खातेदार	③ 693	0.1618 है
राजू देवी पत्नी प्रभुशम जालि कुमावत सा. रामनगर खारिया खातेदार	③ 693	0.0645 है
रामचन्द्र कुमावत पुत्र प्रभुशम जालि कुमावत सा. कुचामन सिरी खातेदार	③ 693	0.0645 है
		<u>0.2908 है</u>

बंटवारा स्कीम मौके पर तैयार कर उपायित को पढ़ाई गई बाद हस्ताक्षर कराए गए। शेष शेष खातेदारों के सामलारी रहेगी।
रिपोर्ट श्रीमान् जी की संवामें सादर पेश है।

01/08/21/21
जवाह

दुलाराम

Signature
श. फलगा